15/06/2024

आकाशवाणी ईटानगर

प्रसारण समय - संध्या - 07:45 बजे

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनाईक ने आज राज्य विधानसभा में राज्य की आठवीं विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि लोगों द्वारा दिया गया जनादेश निरंतर विकास, नीति स्थिरता और सुशासन की स्पष्ट इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों और लोगों द्वारा उन पर जताए गए भरोसे के प्रति जागरूक होना चाहिए। राज्यपाल ने विधायकों को उनके द्वारा शुरू की गई सभी परियोजनाओं में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए डिजाइन, सौंदर्यशास्त्र, उपयोगिता और स्थिरता की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए "विकास की अंतर्निहित प्रणालियों" पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। अपने तैंतीस मिनट के संबोधन में, राज्यपाल ने राज्य सरकार के प्रयासों और इसके प्राथमिकता वाले फोकस क्षेत्रों, विशेष रूप से शासन सुधार, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, युवा आकांक्षाओं को पूरा करना और विकास के लिए निवेश पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार बॉटम-अप योजना शुरू करेगी, जिसमें हितधारकों के परामर्श से जिला-स्तरीय विजन और विकास योजनाएं तैयार करना शामिल होगा, जिससे अंतिम छोर पर प्रभावी और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

0000000000000000

अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग उत्तर से विधायक तेसाम पोंगते को सर्वसम्मति से आठवीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा का विशेष सत्र अध्यक्ष के चुनाव के साथ शुरू हुआ। अंतरिम अध्यक्ष निनोंग एरिंग ने तेसाम पोंगते को राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की क्योंकि इस पद के लिए कोई अन्य नामांकन प्राप्त नहीं हुआ था। अध्यक्ष पद संभालने के बाद श्री पोंगते ने स्वयं को सर्वसम्मति से चुने जाने के लिए सदन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह अध्यक्ष पद की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपरा को बनाये रखने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए काम करेंगे और सभी के साथ न्याय करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्री पोंगते को बधाई दी और राज्य सरकार की ओर से विधानसभा सचिवालय को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया। लिकाबाली से विधायक कार्दो निग्योर को राज्य विधानसभा का निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है। 0000000000000000

अरुणाचल प्रदेश में नवनियुक्त मुख्यमंत्री पेमा खांडू के मंत्रिपरिषद में आज विभागों का बंटवारा किया गया। इस बार 12 सदस्यीय राज्य मंत्रिपरिषद में 9 नये चेहरे शामिल किये गाये हैं। उप-मुख्यमंत्री चाउना मेन को दोबारा वित्त, योजना और निवेश तथा बिजली मंत्रालय दिया गया है। राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना को शिक्षा और ग्रामीण मंत्रालय दिया गया है। ब्युराम वागे नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होंगे। वांकी लोवांग को पर्यावरण और वन तथा तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया है।

श्रीमती दासांगलू पुल को महिला और बाल विकास, सांस्कृतिक मामले तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वे सभी विभाग अपने पास रखे हैं जो उपमुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों को नहीं सौंपे गए हैं। इस बीच, श्री खाण्डू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि, यह टीम अनुभवी मंत्रियों और युवा सदस्यों का मिश्रण है, जो हमारे प्यारे लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक नागरिक, समुदाय और जनजाति का ख्याल रखा जाए। उन्होंने ने सभी सदस्यों से बेहतर अरुणाचल के लिए मिलकर काम करने की अपील की।

0000000000000000

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) ने मिदपु, दोईमुख में एक राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए दो सौ सत्रह दशमलव एक-नौ करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आभार व्यक्त करते हुए, आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय के पर्याप्त आवंटन को स्वीकार किया और स्थानीय स्तर पर उन्नत कैंसर देखभाल प्रदान करने में संस्थान की भविष्य की भूमिका पर जोर दिया। यह फंडिंग गुवाहाटी में डॉ. बी बोरूआ कैंसर इंस्टीट्यूट के सहयोग से छिहत्तर-बेड वाले आधुनिक कैंसर उपचार केंद्र के विकास की सुविधा प्रदान करेगी।   0000000000000000

उच्च शिक्षा संस्थानों को इस साल 30 सितंबर तक सभी रद्द किये गये दाखिलों और स्थानांतरण की पूरी फीस वापस करनी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूजीसी ने 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए नई फीस वापसी नीति में इसकी घोषणा की है।

यह फैसला प्रवेश रद्द करने या वापस लेने पर फीस वापस न होने पर छात्रों और अभिभावकों द्वारा की गयी शिकायतों को दूर करने के लिए लिया गया है। यह नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, यूजीसी-मान्यता प्राप्त संस्थानों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और प्रवेश परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू होगी। उच्च शिक्षा नियामक संस्था ने यह भी कहा कि 30 सितंबर के बाद और इस साल 31 अक्टूबर तक फीस वापसी में प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में एक हजार रुपये से अधिक नही काटे जा सकते हैं। नीति में कहा गया है कि 31 अक्टूबर से आगे बढ़ने वाले प्रवेश कार्यक्रम के लिए, अक्टूबर 2018 की यूजीसी अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे।

000000000000000

राजधानी पुलिस ने अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के सहयोग से कल विश्व रक्तदाता दिवस पर एक सफल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर वीकेवी एलुमनी एसोसिएशन, ट्रिम्स नाहरलागुन और आरकेएम अस्पताल के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास था। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 260 यूनिट रक्त चढ़ाकर अरुणाचल प्रदेश के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया गया। 0000000000000000